



PRGI No. GUJHIN/2011/39228

वर्ष : 16

अंक : 054

दि. 23.06.2026,

मंगलवार

पाना : 04

किंमत : 00.50 पैसा

बंगाल में भाजपा सरकार का पहला बजट, कर्मचारियों को डीए की सौगात, महिलाओं-युवाओं के लिए बड़े ऐलान

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी का बजट पेश किया।

वर्तमान समय को नव विप्लव की भूमिका निभाने के बाद सत्ता में आई भाजपा ने इस बजट के के माध्यम से राज्य के विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, आधारीभूत संरचना और सखती कर्मचारियों के हितों को केंद्र में रखकर का दावा किया है।

वर्ष 2026-27 के लिए 4,38,775.129 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया, जिसे राज्य सरकार ने विकास और सुगमता के नई दिशा बताकर ऐतिहासिक कर दिया।

बजट पेश होने से पहले ही राजनीतिक मंच में उत्सुकता चरम पर थी। बजट के महंगीयों ने संकेत दे दिए थे। सरकार को केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं होगा,

बाबूक जनता से पैकिंग हुए चुनौती वादों को पूरा करने को दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम प्रस्ताव होगा। बजट प्रस्तुत होने के मुख्यमंत्री शुभेदु अधिकारी ने इसे गंगल को खाई हुई प्रीतिषा, सांस्कृतिक गौरव और आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करने वाला बजट बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का समर्थन बड़ा उद्देश्य राज्य के नागरिकों के भ्रममुक्त वातावरण उपलब्ध करना है।

थ्रुमने आरोप लगाया कि पिछले वर्षों में राज्य में राजनीतिक हिंसा, अवैध वसूली और तथाकथित सिंडिकेट प्रसारित विकास को प्रभावित किया। सरकार अवैध ऐसी व्यवस्थाओं को समाप्त कर व्यापार, उद्योग और निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना चाहती है। मुख्यमंत्री का दावा था कि इस बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग



को ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार की गई हैं।

बजट की सबसे बड़ी घोषणाओं में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि शामिल है। लंबे समय से केंद्र के समान डीए की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए सरकार ने 20 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की

है। इसके बाद राज्य कर्मचारियों का कुल डीए बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा। यह वृद्धि आगामी एक अक्टूबर से लागू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा ने कर्मचारियों से केंद्र के समान डीए देने का वादा किया था और सरकार उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है।

उन्होंने मोरसा दिलाया कि वर्तमान अंतर-
का भी चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया
जाएगा।
हालांकि इस घोषणा के बाद विपक्ष ने
सरकार को धरने का प्रयास किया। विपक्षी
नेताओं ने कहा कि अभी भी केन्द्र और
राज्य के डीए में अंतर बना हुआ है और
कर्मचारियों की अपेक्षाएं पूरी तरह पूरी
नहीं हुई हैं। विपक्ष का तर्क है कि केवल
अंशिक बदोती से समस्या का समाधान
होना और कर्मचारियों को अभी भी पूर्ण
समाधान का इंजाज करना पड़ेगा।
महिलाओं के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण
योजनाओं की घोषणा की गई है। सरकार ने
‘अन्यपूर्ण योजना’ के तहत पाठशालाओं
को हर महिने तीन हजार रुपये की आर्थिक
सहायता देने का निर्णय लिया है। सरकार
का मानना है कि यह योजना महिलाओं

की आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत करेंगे और श्रमहीन स्तर पर उनकी भूमिका को भी सशक्त बनाएंगे। इसके अलावा 33 शिक्षा प्राप्त कर रही अविवाहित छात्राओं को लिए एकमुश्त 50 हजार रुपये की महाप्राथम्य राशि देने का उद्देश्य प्राप्ति किया गया है। सरकारी का उद्देश्य आर्थिक कारणों से लक्षितों की पढ़ाई बीच में न छूटे और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में लिए प्रोत्साहन मिले।

युवाओं और रोजगार के क्षेत्र में भी सरकार न कई बड़े वादे किए हैं। 21 से 45 वय आयु वर्ग के बेरोजगार न्मातक युवाओं को प्रतिमाह तीन हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा अन्य बेरोजगार युवाओं के दो हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। योग योजना उम परिवारों लिए लागू होगी। जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से

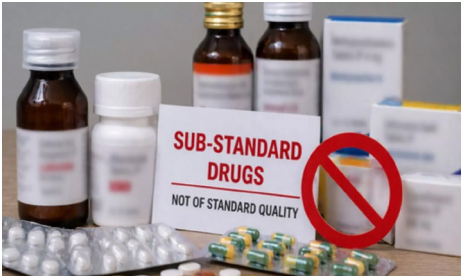
कम है। सरकार का कहना है कि इससे रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को आर्थिक सहाय मिलेगी और वे बेवत अवसरों की तैयारी कर सकेंगे। आधारभूत संरचना के क्षेत्र में भी बजट में कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है। राज्य सरकार ने कल्याणिक के निकट एक बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए एक हजार से ज़ेड हजार एकड़ भूमि अधिग्रहित किए जाने की योजना है। सरकार का मानना है कि यह परियोजना न केवल राज्य की हवाई संपर्क व्यवस्था को मजबूत करेगी, बल्कि निर्यात और औद्योगिक विकास को भी नई गति प्रदान करेगी। इसके साथ ही पुरुरिया, बालूरुवा और मालदा में नए हवाई अड्डों के निर्माण की

घोषणा की गई है। कृषिविहार हवाई अड्डे के किनारे का प्रस्तावित योजना गया है, इसे केंद्र सरकार की उड़ान रोजा के तहत विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से उत्तर और दक्षिण बंगाल के बीच संपर्क और मजबूत होगा तथा पर्यटन एवं व्यापार को नई दिशा मिलेगी।

क्षेत्र के सरकार ने उत्तर बंगाल के लिए बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। केंद्र सरकार के सहयोग से एक भारतीय-यूरोपीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और एक भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) स्थापित करना का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार का मानना है कि इन संस्थानों की स्थापना के अक्सर छात्रों को उच्च स्तरीय शिक्षा के अवसर उपलब्ध होंगे और प्रतिभाओं का पलायन कम होगा।

दवा सुरक्षा पर बड़ा खुलासा: गुणवत्ता जांच में फेल हुए 159 दवा सैंपल, स्वास्थ्य तंत्र में बढ़ी चिंता

नई दिल्ली। देश में दवा सुखा और गुणवत्ता नियंत्रण को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएफएसओ) और विभिन्न स्तरीय परीक्षा प्रयोगशालाओं द्वारा जारी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कई नमूने के दौरान जांचे गए दवा नमूनों में 159 सैपल निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। इनमें 46 नमूने केन्द्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा और 113 नमूने राज्य स्तरीय प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण के असफल हुए गए हैं। इस खुलासे के बाद स्वास्थ्य सेवा में चिंता बढ़ गई है और निष्पक्षक एजेंसियों संबंधित वैकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है।



पेशेजनों के अनुसार किसी दवा का एनएनएमयू घोषित होना यह संकेत देता है कि वह दवा गुणवत्ता परीक्षण के एक या अधिक मानकों में असफल है। वह कमी दवा की शक्ति, शुद्धता, घुलनशीलता, स्थिरता या उसी तकनीकी मानकों से संबंधित हो सकती है। हालांकि अधिकतर लोग ने स्पष्ट किया है कि किसी एन बैच के फेल होने का अर्थ यह नहीं है कि उसी कंपनी या उसी नाम की दवाएं खराब हैं। गुणवत्ता संबंधी यह निर्णय केवल उन विशेष बैच तक सीमित होता है जिसकी जांच की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हर मध्य प्रदेश में चल रही निगरानी व्यवस्था के तहत सीडीएससीओ अपने पोस्टल एनएनएमयू और नकली दवाओं पर एनएस प्रकाशित करता है। इस प्रक्रिया का मूख्य उद्देश्य दवा बाजार पर निगरानी

निगरानी रखना और मरीजों तक सुरक्षित एवं प्रभावी दवाएं पहुंचाना है। रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने से चिकित्सकों, अस्पतालों, दवा विक्रेताओं और आम उपभोक्ताओं को भी गुणवत्ता संबंधी जानकारी समय पर मिल जाती है।

इस बार की रिपोर्ट में एक और गंभीर तथ्य सामने आया है। असम में एक दवा का मनुष्य नकली पसल गया है। अधिकारियों के अनुसार कुछ अधिकतम निर्माताओं ने ऐ प्रसिद्धि कर कंपनी के जाँच नाम का दुरुपयोग करते हुए यह दवा तैयार की थी। जांच में यह हथियार स्त्रुष्ट हुआ कि उत्पाद वास्तविक निर्माता द्वारा नहीं बनाया गया था, बल्कि उसकी पहचान का गलत इस्तेमाल कर बाजार में बेचा जा रहा था।

नकली दवाओं का मामला सामने आने के बाद संबंधित एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि दोषियों की पहचान करने में काफ़ी देर तक उनके खिलाफ औषधि एवं प्रमाण समग्री अधिनियम और अन्य प्राणु कानूनों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। नकली दवाओं को सार्वजनिक

आस्थिक के लिए गंधीर खतरा माना जाता है क्योंकि इनमें आस्थिक सक्रिय उत्पत्ति की मात्रा घटती नहीं होती या कहीं बड़ा हानिकारक पदार्थ भी पाए जा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे विशाल देश में दवा उद्योग की व्यापकता को देखते हुए नियमित निगरानी अत्यंत आवश्यक है। देश में हजारों दवा निर्माता कंपनियाँ और लाखों दवा विक्रेता कार्यरत हैं। ऐसे में समय-समय पर गुणवत्ता परीक्षण के माध्यम से ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि मरीजों तक सुरक्षित और प्रभावी दवाएँ पहुँच रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि एएसएक्स्यू और नकली दवाओं की पहचान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से अभियान चलाती हैं। बाजार से नमूने लेकर उनकी जांच की जाती है और यदि किसी वैकल्पिक में गुणवत्ता संबंधी कमी पाई जाती है तो उसे बाजार से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसके अलावा संबंधित निर्माता कंपनियों से भी जुवाब मांगा जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे हिलाफत नियामकीय कार्रवाई की जाती है। दवा विशेषज्ञों के अनुसार मरीजों को धरना देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्होंने ज़ाहिराफ अशरफ रहना चाहिए।

नई दिल्ली। न्यायापालिका में नियुक्तियों की प्रक्रिया को लेकर दायर एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई से इनकार करत हाइकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के निर्णयों में न्यायिक हस्तक्षेप की की सीमा है और अदालत ऐसे कोई स्थिति उत्पन्न नहीं करना चाहती जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में नई जटिलताएं पैदा हों। शीघ्र अदालत की इस टिप्पणी को न्यायिक नियुक्तियों से जुड़े संवेदनशील मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा

जा रहा है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्या नागची की खंडपीठ के हिमाचल प्रदेश के एक न्यायिक अधिकारी ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के दौरान विरष्टता के सिद्धांत की अनदेखी की गई है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि नियुक्ति प्रक्रिया में विरष्टताक्रम को उचित महत्व नहीं दिया गया और कुछ नामों पर विचार करते समय स्थापित मानकों का पालन नहीं किया गया।

हालांकि, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि न्यायाधीशों की निष्पत्ति के संदर्भ में कोलेजियम की संतुष्टि और उसका मूल्यांकन ही अंतिम रूप से महत्वपूर्ण होता है। अदालत ने माना कि यह ऐसा क्षेत्र है जहां गिण्टिंग लेने का अधिकार एक्सेल्यूसिव रूप से संबंधित कोलेजियम के पास होता है और न्यायिक आदेशों के माध्यम से उस प्रक्रिया को निर्देशित करना उचित नहीं होगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस बी.वी.

नागरत्ना ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या न्यायिक पक्ष से सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम या हाईकोर्ट कोलेजियम का एक निर्देश दिया जा सकता है कि वह किसी विशेष व्यक्ति के नाम पर विचार करे या किसी खास तरीके से निर्णय ले ? उनका स्पष्ट उत्तर था— नहीं। उन्होंने कहा कि नियुक्तियों की प्रक्रिया से कोलेजियम की स्वतंत्र भूमिका को बनाए रखना आवश्यक है और अदालत ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करे कोई नई समस्या खड़ी नहीं करना चाहती।

**अब आपकी भाषा में सुनेगा पेंशन विभाग, एआई सहायक
करेगा शिकायत दर्ज से समाधान तक हर काम**

है दिल्ली। देश में जटिलतर सेवाओं को अधिक सफल, प्रभावी और नागरिकों के अनुकूल करने की दिशा में हम एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पेंशन नियामक एवं विकास प्रतिक्रिया (पीएफआरडी) ने राश्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और अल्टरनेटिव योजना (एपीआई) से जुड़े करोड़ों ग्राहकों के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आईआई) आधारित एक नया शिकायत निवारण मंच शुरू किया है। 'पीएफआरडी' पेंशन सहायक' नामक यह नई नई व्यवस्था पेंशनधारकों और निवेशकों को शिकायत दर्ज कराने, उसकी निगरानी करने और समाधान प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान, तेज और सुविधाजनक बनाएगी।

देशभर में लाखों लोग राश्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अल्टरनेटिव योजना से जुड़े होंगे। हमारे बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो तकनीकी अभाव, अनालाइन फॉर्म और अंग्रेजी भाषा आधारीत प्रणालियों के कारण अपनी शिकायत दर्ज कराने में कठिनाई महसूस करते हैं। कई बार शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया इतनी जटिल लगती है कि लोग अपनी समस्याओं को अधिकारिक रूप से दर्ज करने से ही बचते हैं। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए पीएफआरडी ने नई तकनीक को उपयोग करने और पेंशन मंच विकसित किया है जो अपने नागरिकों की भाषा और जरूरतों को समझ सके।

नई व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब उपभोक्ताओं को लॉबी और जटिल प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। वे अपनी शिकायत लिखकर या सीधे बोलकर भी दर्ज कर सकते हैं। आईआई आधारित यह प्रणाली शिकायत की भाषा, आशय और विषय को समझते हुए उसे स्वतः सही श्रेणी में दर्ज करेगी। इसके साथ ही आवश्यक जानकारीयों एकत्र करने और शिकायत को उचित विभाग को सौंप पढ़वाने का काम भी स्वतः करेगा।

अब तक शिकायत दर्ज करने के लिए लोगों को विभिन्न विकल्पों और तकनीकी श्रेणियों में से सही विकल्प चुनना पड़ता था। कई बाधाएँ गलत श्रेणी चुनने से शिकायत के समाधान में अनावश्यक देरी होती थीं। नई प्रणाली इस समस्या को काफी हद तक समाप्त कर देगी। एआई सहायक शिकायत को प्रवाह को समझकर उसे उचित श्रेणी में दर्ज करेगी जिससे शिकायतों के निस्तारण में गति बढ़ेगी और न्यूट्रों की संभावना कम होगी। इस मंच की एक और महत्वपूर्ण विशेषता इसकी बहुभाषी क्षमता है। भारत-भारत विविधताओं वाला देश है, जहाँ अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। अक्सर भाषा की बाधा सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में बड़ी समस्या बन जाती है। नई प्रणाली में यह समस्या लागू नहीं होगी जो जाएगी। यह मंच 22 भारतीय भाषाओं में सहायता उपलब्ध करेगा, जिससे देश के विविध-विभिन्न हिस्सों के नागरिक अपनी मातृभाषा में संवाद कर सकेंगे। इस परियोजना में केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी भाषा मंच 'भाषिणी' की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। भाषिणी कृत्रिम बुद्धिमान आधारित भाषा अनुवाद प्रणाली है, जो भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के बीच रीयल-टाइम अनुवाद में सुविधा प्रदान करेगी। पहले शिकायत दर्ज करते समय उपभोक्ताओं को अपनी भाषा का चयन करना पड़ता था, लेकिन अब एआई और भाषिणी प्रणालि किसी भी भारतीय भाषा में करीब या रिश्ताई गई बात को स्वतः समझकर उसका अनुवाद कर देगी। इससे भाषा चयन की जटिलता समाप्त होगी और उपयोगकर्तों का अनुभव अधिक सहज बनेगा। नई व्यवस्था के दहत यदि कोई व्यक्ति अपनी क्षेत्रीय भाषा में शिकायत दर्ज करता है, तो एआई उसे समझकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करेगा। इतना ही नहीं, शिकायत के संबंध में एआई द्वारा समझाकर आदर्श उत्तरों को

[illegible]

हालांकि यह प्रणाली प्रभावी है, लेकिन आम उपयोगकर्ताओं के लिए इसमें कई तकनीकी प्रयोगों/शालिन रहती हैं। इसमें 'पीएफएआरडी' पेंशन सहायक' विशेष रूप से पेंशन ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। इसमें उपयोगकर्ता अनुभव को सरल बनाने के लिए एआई आधारित संवाद, सहज यात्रा, त्वरित प्रतिक्रिया और स्पष्ट सहायता जैसे सुविधाएं जोड़ी गई हैं। डिजिटल इंडिया और कृत्रिम बुद्धिमान आधारित प्रशासनिक सुधारों के दौर में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रही है। सरकारी सेवाओं में एआई के बढ़ते उपयोग को उद्देश्य केवल तकनीकी उन्नयन नहीं, बल्कि नागरिकों को बेहतर और तेज सेवाएं उपलब्ध कराना भी है। पेंशन क्षेत्र में इस तरह की व्यवस्था लागू होने से प्रबंधन में अन्य सरकारी विभाग भी इसी प्रकार की तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह प्रणाली अपेक्षित सफलता प्राप्त करती है, तो शिकायत निवारण के क्षेत्र में यह एक नया मार्ग स्थापित कर सकती है। इससे न केवल शिकायतों के समाधान की गति बढ़ेगी बल्कि नागरिकों का सरकारी संस्थाओं पर भरोसा भी मजबूत होगा।

मूलतः मिलाकर, 'पीएफएआरडी पेंशन सहायक' केवल एक तकनीकी मंच नहीं बल्कि पेंशन प्रशासन को अधिक सरल, पारदर्शी और जन-केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस पेंशनधारकों को अपनी समस्या बताते के लिए कठिन प्रक्रियाओं या भाषा संबंधी बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये अपनी भाषा में, अपने तरीके से और अधिक सहजता के साथ अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे तथा उसके समाधान की पूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। यही इस नई व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

[illegible]

ये से जुड़े
गाने वाले
स्कैन करें

store पर जाकर
उनलोड करें

ना है...

!)

RESERVE BANK OF INDIA
भारतीय रिज़र्व बैंक

₹500
₹500

भारतीय रिज़र्व बैंक

हरमिलन
भारतीय ट्रैक

org.in/cbcd पर जाएँ

नंबर:
91935

बड़ोदा • बैंक ऑफ इंडिया • बैंक ऑफ म
बैंक • इंडियन बैंक • इंडसट्रियल बैंक • कन



में जारी

य रिजर्व बैंक

RERVE BANK OF INDIA

rbi.org.in

मी बैंक • आईसीआईसीआई बैंक
बैंक • भारतीय स्टेट बैंक • यूको बैंक

भारत की अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी)

नकद की तरह ही आसानी से लेनदेन करें

सीबीडीसी: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी डिजिटल रुपया

- ✓ आपके डिजिटल वॉलेट में सुरक्षित रहता है
- ✓ छुट्टे पैसे खोजने की आवश्यकता नहीं
- ✓ UPI QR के साथ-साथ सभी QR कोड पर काम करता है
- ✓ सुरक्षित लेनदेन का माध्यम

डिजिटल रुपये से जुड़े
अक्सर पूछे जाने वाले
प्रश्न के लिए स्कैन करें

Google Play या Apple App Store पर जाकर
अपना डिजिटल रुपया ऐप डाउनलोड करें

₹140.73 का
भुगतान करना है

दिया चितले,
भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी

डिजिटल
रुपया ऐप
डाउनलोड करें

हरमिलन बेंस,
भारतीय ट्रैक एथलीट

अधिक जानकारी के लिए,
<https://rbikehtahai.rbi.org.in/cbdc> पर जाएं

आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर:
99990 41935/99309 91935

जनहित में जारी
भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

सहभागी बैंक: एनिस बैंक • बैंक ऑफ बड़ौदा • बैंक ऑफ इंडिया • बैंक ऑफ महाराष्ट्र • केनरा बैंक • फेडरल बैंक • एचडीएफसी बैंक • आईसीआईसीआई बैंक
आईडीबीआई बैंक • आईडीएफसी फर्स्ट बैंक • इंडियन बैंक • इंडसइंड बैंक • कर्नाटक बैंक • कोटक महिंद्रा बैंक • पंजाब नेशनल बैंक • भारतीय स्टेट बैंक • यूको बैंक
यूनिजन बैंक ऑफ इंडिया • येस बैंक
सहभागी गैर-बैंक: क्रेड • मोबिलिटीक

